लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **शिवांगी स्वर्णकार,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/47/2019 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 02.05.2019

श्री सज्जन सोडानी पिता कन्हैयालाल सोडानी निवासी बीगोद, तहसील माण्डलगढ़

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, बेगूं

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 29.05.2019

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, बेगूं के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 22.03.2019 को रजिस्टर्ड ड़ाक से प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 47/2019/(29.05)/192 दिनांक 06.05.2019 से सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, बेगूं को दिनांक 29.05.2019 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 29.05.2019 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, बेगूं ने अपने पत्रांक/राजस्व/2019/355 दिनांक 13.05.2019 से कमेंट्स

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

A10

प्रकरण संख्या 47/2019 (सू.अ.)

श्री सज्जन सोडानी निवासी बीगोद बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, बेगूं

प्रेषित किये कि उनके पत्रांक/राजस्व/2019/297 बी दिनांक 18.04.2019 से प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, बेगूं द्वारा अपने पत्रांक/राजस्व/2019/355 दिनांक 13.05.2019 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर मनन किया जिसके अनुसार सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, बेगूं ने अपीलार्थी को पटवारी हल्का रावडदा से सम्पर्क कर सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित किया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा वांछित सूचनायें उसे आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से 30 दिवस की निर्धारित अवधि के भीतर नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क प्राप्त कर उपलब्ध करवायी जाने का प्रावधान है। इसके लिये आवेदक द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन, संबंधित अधिकारी तक पहुंचाकर सूचना प्राप्त कर, आवेदक को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित लोक सूचना अधिकारी की बनती है। सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, बेगूं अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना संबंधित पटवारी से प्राप्त कर अपीलार्थी को उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, बेगूं को निर्देश दिये जाते हैं की वह पटवारी हल्का रावड़दा से सूचना प्राप्त कर अपीलार्थी को 15 दिवस में निः शुल्क उपलब्ध करावें।

(शिवांगी स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./47/2019(सू.अ.)/214 दिनांकः— 30/05/2019

प्रतिलिपिः—

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, बेगूं
2. श्री सज्जन सोडानी पिता कन्हैया लाल सोडानी निवासी बीगोद, तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)